भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1503
सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना

1503. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बीमित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और जिले में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/अस्पतालों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या और बीमित व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ईएसआई औषधालय या अस्पताल स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना, देश के 713 जिलों में लागू हो चुकी है।

दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर जिले में 2,37,291 बीमित व्यक्ति (आईपी) और 9,01,706 ईएसआई लाभार्थी हैं। दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ईएसआई योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ कवर किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों-वार ब्यौरा अनुबंध में है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल या औषधालय की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ईएसआईसी के मानदंडों के अनुसार, किसी क्षेत्र में बीमित व्यक्तियों की जनसंख्या के आधार पर नए ईएसआई अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। वर्तमान में, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में 07 औषधालय और 01 अस्पताल हैं।

सरकार ने संगठित या असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के लक्ष्य और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है।

*

अनुबंध

“कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना” के संबंध में श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे द्वारा दिनांक 09.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1503 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	कवर किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या	बीमित व्यक्तियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	75,648	14,28,110
2	असम	31,394	3,42,000
3	अरुणाचल प्रदेश	552	2,210
4	मेघालय	1,824	16,130
5	नागालैंड	1,125	5,360
6	त्रिपुरा	2,399	22,910
7	मणिपुर	1,216	5,350
8	मिजोरम	512	3,160
9	बिहार	59,399	5,13,420
10	चंडीगढ़	6,709	1,42,120
11	छत्तीसगढ़	37,263	6,27,260
12	दिल्ली	1,66,568	14,00,970
13	गोवा	12,035	2,15,910
14	गुजरात	1,23,224	20,04,720
15	हरियाणा	1,48,792	29,24,310
16	हिमाचल प्रदेश	18,062	4,15,570
17	जम्मू एवं कश्मीर	15,661	1,55,720
18	झारखंड	37,589	5,54,980
19	कर्नाटक	2,01,749	35,33,300
20	केरल	88,601	10,95,170
21	मध्य प्रदेश	82,248	12,99,080
22	महाराष्ट्र	3,70,937	49,14,790
23	ओडिशा	58,854	10,90,420
24	पुदुचेरी और माहे	6,348	1,20,400
25	पंजाब	64,975	13,87,110
26	राजस्थान	1,19,427	17,38,060
27	सिक्किम	1,126	27,540
28	तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,16,787	44,77,800
29	तेलंगाना	1,35,941	19,15,700
30	उत्तर प्रदेश	2,20,300	31,27,810
31	उत्तराखंड	30,977	7,07,130
32	पश्चिम बंगाल	1,45,269	22,21,360
	अखिल भारतीय	24,83,511	3,84,35,880

[स्रोत: ईएसआईसी मुख्यालय]

******